Publications	Editions	Published On
Business Remedies	Jaipur	13.08.2025
Nafa Nuksan	Jaipur	13.08.2025

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड

सीआईएनः L17115RJ1960PLC008216
पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान
फोनः +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्सः +91-1483-223361, 223479
कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए - 12, सेक्टर - 1, नोएडा - 201 301 (उ.प्र.)
फोनः +91-120-4390300 (EPABX), फैक्सः +91-120-4277841
ईमेलः **rswm.investor@lnjbhilwara.com**; वेबसाइटः **http://www.rswm.in**

64वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई–वोटिंग/ ई–वोटिंग तथा पुस्तक बंदी की सूचना

5 अगस्त, 2025 को जारी किए गए हमारे समाचार–पत्र के विज्ञापन के क्रम में, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड **("कम्पनी")** की **64वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2025 को 2:00 बजे अपराह्न** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")**/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **("ओएवीएम")** के माध्यम से, कार्यक्रम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 64वी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। बैठक का स्थान कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा–311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024 एवं सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर, 2024 **("सेबी परिपत्र")** एवं जारी किए गए अन्य लागू परिपत्रों और अधिसूचनाओं (जिनमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल है) और यथा समय यथा संशोधित, के अनुपालन में कम्पनियों को एजीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")** अथवा अन्य ऑडियो विजुअल साधनों **("ओएवीएम")** के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, आयोजित करने की अनुमति है। उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जाएगा। अतः सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं।

लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी के 64वीं एजीएम की सूचना एवं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट जिसमें वित्तीय वर्ष 2024–25 के अंकेक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, निदेशकों की रिपोर्ट, अंकेक्षकों की रिपोर्ट इसके अतिरिक्त अन्य वांछित संलग्नक दस्तावेजों सहित, **12 अगस्त, 2025** को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा कम्पनी के सदस्यों, जिनका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत है, को प्रेषित कर दी गई हैं। जिन सदस्यों का ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है, उन्हें एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट एवं एजीएम की सूचना का वेब लिंक/पथ तथा क्यूआर कोड प्रदान करते हुए 12 अगस्त, 2025 को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा एक पत्र भेजा गया है। 64वें एजीएम की सूचना एवं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेजी जाएगी जो इसके लिए अनुरोध करेंगे।

कम्पनी के 64वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.rswm.in** पर, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम के दौरान ई–वोटिंग हेतु निर्देशः

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम), 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 तथा लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी अपने सदस्यों को, 64वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) के एजीएम में संपादित होने के सम्बन्ध में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) – अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, रिमोट ई–वोटिंग/के साथ एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के द्वारा अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तौर पर डालने की सुविधा प्रदान कर रही है।

डिमेटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर प्रतिरक्षित रखने वाले शेयरधारक एवं ऐसे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई–वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। ई–वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया गया है।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण पुस्तकें **शनिवार, 30 अगस्त, 2025** से **शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2025 (दोनों दिवस सम्मिलित)** तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2025 की कट–ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड् रूप में शेयर प्रतिरक्षित करने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या कट–ऑफ तिथि **अर्थात् शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2025** के अनुसार डिपॉजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में दर्ज हो, केवल वही रिमोट ई–वोटिंग के साथ ही वार्षिक आम बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 2 सितम्बर, 2025 को 9:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ होगी** तथा **बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर, 2025 को 5:00 बजे अपराह्न समाप्त होगी**। इसके पश्चात् रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों के वोटिंग का अधिकार **कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2025** को कम्पनी की प्रदत्त समता शेयर पूँजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होगा। वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों/लाभार्थियों के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि को दर्ज हो, केवल वहीं रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने हेतु अधिकृत होंगे और जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, उन्हें एजीएम की सूचना को जानकारी मात्र के उद्देश्य से व्यवहृत करना चाहिए।

यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु **कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2025** के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह अपने डीमैट अकाउंट संख्या/फोलियो संख्या, पैन, नाम एवं पंजीकृत पते के उल्लेख सहित **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ऐसे सदस्य कम्पनी द्वारा 64वीं एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया से, ई–वोटिंग निर्देशों का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं। हालांकि, जो सदस्य पहले से ही ई–वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, वे रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम में ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ई–वोटिंग की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी एवं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से अपना वोट नहीं डाला है, 64वीं एजीएम सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय(ओं) पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे एजीएम में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु एजीएम में पुनः अपना वोट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।

वे सदस्य, जिनका ईमेल पता एवं बैंक विवरण कम्पनी या उनके सम्बद्ध डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के साथ पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता एवं बैंक विवरण पंजीकृत करें:

भौतिक शेयर धारिता के मामले में	कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट अर्थात् **एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड (यूनिटः आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड)** 179–180, डीएसआईडीसी, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–I, नई दिल्ली–110020 को फॉर्म **ISR-1** में सहायक दस्तावेजों सहित विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र भेजें या उसकी स्कैन की गई प्रति **helpdeskdelhi@mcsregistrars.com** पर ईमेल करें तथा ईमेल पता पंजीकृत करने हेतु निम्नलिखित विवरण प्रदान करें: **क)** फोलियो नंबर, **ख)** शेयरधारक का नाम, **ग)** ईमेल पता, **घ)** पैन कार्ड की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), **ङ)** आधार की प्रतिलिपि (स्वप्रमाणित), **च)** शेयर प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि (आगे व पीछे), **छ)** संपर्क नम्बर बैंक खाता विवरण अद्यतन करने के मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण/दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता हैः **क)** बैंक का नाम तथा शाखा जिसमें आप लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, **ख)** बैंक खाता प्रकार, **ग)** बैंक खाता संख्या, **घ)** MICR कोड संख्या, **ङ)** आईएफएससी कोड, एवं **च)** प्रथम शेयरधारक के नाम वाले रद्द किए गए चेक की प्रति
डीमैट शेयर धारिता के मामले में	कृपया अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता तथा बैंक खाता विवरण अपने डीमैट खाता में पंजीकृत करें।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने ई–वोटिंग प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हेतु श्री महेश कुमार गुप्ता, संव्यावसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 2870), मेसर्स महेश कुमार गप्ता एंड कम्पनी, की संवीक्षक के तौर पर नियुक्ति की है।

परिणाम की घोषणा वार्षिक आम बैठक के समापन के दो दिवस के अन्दर, कम्पनी की वेबसाइट **www.rswm.in** पर, एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् **www.evoting.nsdl.com** पर प्रदर्शित कर तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड **www.bseindia.com** पर एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड **www.nseindia.com** में फाइलिंग कर की जाएगी। इन्हें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। मतों की अपेक्षित संख्या के शर्तानुरूप, प्रस्तावों को एजीएम की तिथि अर्थात् 5 सितम्बर, 2025 को पारित माना जाएगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस'(FAQs)एवं शेयरधारकों हेतु ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 022–4886 7000 एवं 022–4886 7000 पर फोन कर सकते हैं अथवा **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेज सकते हैं। रिमोट ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत हेतु, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को निर्दिष्ट ईमेल आईडीः **evoting@nsdl.co.in** से संपर्क करें।

मंडल के आदेशानुसार
कृते आर एस डब्ल्यू एम लिमिटेड
हास्ता/–
सुरेन्द्र गुप्ता
वी.पी. लीगल व कम्पनी सचिव
एफसीएस–2615

स्थानः नोएडा (उ.प्र.)
दिनांकः 12 अगस्त, 2025